न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक), श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
32/2022	2022/053	23.03.2022	12.12.2022

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—वादी

बनाम

1. दीपसिंह पुत्र हरि सिंह जाति राजपूत निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. अशोक कुमार पुत्र अर्जुनलाल
3. भागोती देवी पत्नि अर्जुनलाल
4. उगन्ता पुत्री अर्जुनलाल
5. तारा पुत्री अर्जुनलाल
6. मीरा पुत्री अर्जुनलाल
7. मेवा पुत्री अर्जुनलाल
8. मक्खनलाल पुत्र अर्जुनलाल
9. महेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुनलाल
10. रामजीलाल पुत्र अर्जुनलाल समस्त जातिगण गुर्जर, निवासी कुशलपुरा, पो0–चन्दवाजी, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज0

——प्रतिवादी

उपस्थितः–

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] की ओर से।

श्री कमल कुमार शर्मा [illegible] प्रतिवादी संख्या 2, 8 लगायत 10 अभिभाषक।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:31:33 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दावा अंतर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम अजीतगढ़ के भूमि ख0 न0 1487 रकबा 1.94 है0 किस्म चाही की खातेदारी अशोक कुमार, मक्खनलाल, महेन्द्र सिंह, रामजीलाल, उगन्ता, तारा, मेवा, मीरा, भागोती एवं दीपसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिस पर प्रतिवादी ने लक्ष्मी नगर नाम की अवैध कॉलोनी काट रखी है। राजस्व ग्राम अजीतगढ़ के भूमि ख0 न0 1487 रकबा 1.94 है0 किस्म चाही की खातेदारी अशोक कुमार, मक्खनलाल, महेन्द्र सिंह, रामजीलाल, उगन्ता, तारा, मेवा, मीरा, भागोती समस्त जातिगण गुर्जर, निवासीगण कुशलपुरा, पो0 – चन्दवाजी, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज0 एवं दीपसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत, निवासी अजीतगढ़ द्वारा अवैध रूप से बिना संपरिवर्तन करवाये वाणिज्यिक उपयोग के रूप में आवासीय कॉलोनी काट रखी है। जिससे उक्त कृषि भूमि का स्वरूप नष्ट कर दिया है, उक्त भूमि काश्त के लायक नहीं रही है। उक्त कृषि भूमि का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले रहे है। जिससे राजस्व हानि हुई है। अतः उक्त खातेदार अशोक कुमार, मक्खनलाल, महेन्द्र सिंह, रामजीलाल, उगन्ता, तारा, मेवा, मीरा, भागोती समस्त जातिगण गुर्जर, निवासीगण कुशलपुरा, पो0 – चन्दवाजी, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज0 एवं दीपसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत, निवासी अजीतगढ़ के विरूद्ध भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग लिये जाने पर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (अ) संपठित धारा 91 के तहत प्रकरण में निर्णय दिनांक 10.02.2022 को पारित किया जाकर अवैध बेचान नहीं करने व बिना संपरिवर्तन कराये भूमि का उपयोग वाणिज्यिक व व्यावसायिक प्रयोजनार्थ [illegible] हेतु [illegible] गया। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अं[illegible] [illegible]स्थिति बनाये रखने व कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन करा[illegible] [illegible] करने हेतु पाबंद करने के लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:31:33 IST
Reason: SelfAttested

12/1/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वाद पत्र पेश किया गया है। प्रकरण के उभय पक्षकार वाद पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है व तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम अजीतगढ में निवास करता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के विवाद सुनने का अधिकार निहित है। अनावेदक अशोक कुमार, मक्खनलाल, महेन्द्र सिंह, रामजीलाल, उगन्ता, तारा, मेवा, मीरा, भागोती समस्त जातिगण गुर्जर, निवासीगण कुशलपुरा, पो0 – चन्दवाजी, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज0 एवं दीपसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत, निवासी अजीतगढ को मौके की यथास्थिति बनाये रखने व बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि से अकृषि उपयोग हेतु पाबन्द करने की कृपा करते हुए उक्त खातेदारान् के नाम दर्ज भूमि अवस्थित तन् ग्राम अजीतगढ के भूमि खसरा नम्बर 1487 रकबा 1.94 है0 से बेदखल किये जाने तथा खातेदारी निरस्त कर भूमि को राजकीय भूमि घोषित किये जाने का निवेदन तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण नम्बर 2, 8 लगायत 10 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एडवोंकेट उपस्थित आये एंव जवाब दावा मदवार पेश किया तथा जवाब दावा के विशेष कथन की गद संख्या 1 में अवगत कराया कि उक्त भूमि के पूर्व भूमि खसरा नम्बर 1487 रकबा 1.94 है0 तन् ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में दर्ज रहा है। जिसके बाद बंटवारा भूमि खसरा नम्बर 2814/1487 रकबा 1.69 है0 जिसकी खातेदारी कानाराम पुत्र भूराराम हिस्सा 3820/32617, गोपाललाल पुत्र भूराराम हिस्सा 22651727/97198660, बंशीधर पुत्र भगुताराम हिस्सा 140003/652340, मक्खनलाल पुत्र अर्जुनलाल हिस्सा 147/676, मोहनलाल पुत्र रघुनाथ प्रसाद हिस्सा 4557/38740, सुरजी देवी पत्नि गोपाल हिस्सा 32661/326170 हिस्सा की खातेदारी दर्ज हुयी तत्पश्चात् बाद बंटवारा नवीन बट्टा नम्बर भूमि खसरा नम्बर 2856/2814 रकबा 0.40 है0 सम्पूर्ण की खातेदारी मोहन लाल पुत्र भूराराम के नाम दर्ज हैं व भूमि खसरा नम्बर 2855/2814 रकबा 0.[illegible] है0 हिस्सा 1/2 कानाराम पुत्र भूराराम व मोहनलाल पुत्र रघुनाथ प्रसाद के नाम खातेदारी दर्ज है व भूमि खसरा नम्बर 2854/2814 रकबा 0.36 है0 संपूर्ण की खातेदारी बंशीधर पुत्र भगुताराम के नाम दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:31:33 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

व भूमि खसरा नम्बर 2853/2814 रकबा 0.36 है0 संपूर्ण की खातेदारी मक्खनलाल पुत्र अर्जुनलाल के नाम दर्ज है व भूमि खसरा नम्बर 2852/2814 रकबा 0.17 है0 सम्पूर्ण की खातेदारी सुरजी देवी पत्नि गोपाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो चुकी है व सभी खातेदारान ने अपने-अपने अलग-अलग खाता विभाजन होकर सभी खातेदारो ने अपने अपने नाम दर्ज संपूर्ण भूमियों का संपरिवर्तन कराया जाकर भूमि आबादी के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं। उक्तानुसार वर्तमान में उक्त वादपत्र का लम्बित रहने का कोई विधिक औचित्य नही है। वर्तमान जमाबंदी में पूर्व खातेदार अशोक कुमार, महेन्द्रसिंह, रामजीलाल पुत्रगण अर्जुनलाल व भागोती देवी पत्नी अर्जुनलाल व उगन्ता, तारा, मीरा, मेवा पुत्रीया अर्जुनलाल समस्त जाति गुर्जर निवासी कुशलपुरा पोस्ट चन्दवाजी तहसील आमेर जिला जयपुर व दीपसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपूत निवासी अजीतगढ इन सभी का उक्त भूमियों में कोई हक हिस्सा नही होकर वर्तमान जमाबंदी में उपरोक्त सभी का खातेदार के रूप में नाम अंकित नही हैं। इस कारण इनका वादपत्र से कोई संबंध व सरोकार नही रहा है। वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा का अवलोकन करने पर वादपत्र में अंकित प्रतिवादीगणों में से केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 8 मक्खनलाल पुत्र अर्जूनलाल गूर्जर के नाम ही वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 व 9, 10 के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

प्रकरण में वकील प्रतिवादीगण संख्या 2, 8 लगायत 10 के द्वारा जवाब दावा पेश कर दिये जाने एंव अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवे[illegible] का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर [illegible] पक्षकारान् की बहस सुनी जाने की अनुमति दी गई। जिस पर [illegible] पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमियों का [illegible]क विभाजन करवाया जाकर उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:31:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

12/12/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सभी खातेदारान ने अपने नाम दर्ज संपूर्ण भूमियों का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन दिनांक 20.09.2022 के द्वारा तहसील कार्यालय से करवा लिये जाने से उक्त भूमियों की किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ संपरितर्वन हो जाने तथा उक्त संपरिवर्तन आदेशों का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होना शेष है। पक्षकारान् के द्वारा वादग्रस्त आराजी की सम्पूर्ण भूमि का संपरिवर्तन आदेश जारी हो जाने से उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की राजस्व हानि नही होने बाबत अवगत कराया गया।

वादी की ओर से उपस्थित सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा बहस हेतु सहमति दी जाने पर प्रकरण में बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त भूमियों का पक्षकारान् के द्वारा विधिक विभाजन करवाया जा चुका है तथा विधिक विभाजन उपरान्त नवीन खसरा नम्बरान में अंकित भूमियों का बैचान इत्यादि किये जाने के उपरान्त नवीन प्रतिस्थापित पक्षकारान् के द्वारा कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय सपंरिवर्तन तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहां से दिनांक 20.09.2022 को पृथक–पृथक चार पत्रावलियों में संपरिवर्तन आदेश पारित किये जा चुके है। जिसके कारण उक्त भूमियों को सक्षम स्वीकृति के उपरान्त अकृषि उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ मौके पर काम में लिया जा रहा है। उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा लिये जाने से उक्त भूमियों की खातेदारी राजकीय भूमि घोषित नहीं कर खातेदारान् के नाम यथावत रखते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन अपनी बहस में वकील प्रतिवादीगण ने किया है।

वही दौराने बहस सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि उनके द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1487 रकबा 1.94 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम [illegible] का पक्षकारान् के द्वारा विधिक विभाजन करवाया जाकर तत्पश्चात् बाद [illegible] बट्टा नम्बर भूमि खसरा नम्बर 2856/2814 रकबा 0.40 है0 सम्पूर्ण की खातेदारी गोपाल लाल पुत्र भूराराम के नाम व भूमि खसरा नम्बर 2855/2814 रकबा 0.40 [illegible] में हिस्सा 1/2 कानाराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:31:33 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

भूराराम व मोहनलाल पुत्र रघुनाथ प्रसाद के नाम खातेदारी एंव भूमि खसरा नम्बर 2854/2814 रकबा 0.36 है0 संपूर्ण की खातेदारी बंशीधर पुत्र मंगुताराम के नाम एंव भूमि खसरा नम्बर 2853/2814 रकबा 0.36 है0 संपूर्ण की खातेदारी मक्खनलाल पुत्र अर्जुनलाल के नाम व भूमि खसरा नम्बर 2852/2814 रकबा 0.17 है0 सम्पूर्ण की खातेदारी सुरजी देवी पत्नि गोपाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो जाने के उपरान्त उक्त भूमियों के नवसृजित नवीन खसरा नम्बरान् का कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय संपरिवर्तन तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर के यहाँ से दिनांक 20.09.2022 को पृथक–पृथक चार पत्रावलियों में संपरिवर्तन आदेश पारित किये जा चुके है। जिसके कारण उक्त भूमियों को सक्षम स्वीकृति के उपरान्त अकृषि उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ मौके पर काम में लिया जा रहा है। प्रकरण में किसी प्रकार की राजस्व हानि निहित नहीं होने की स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को निस्तारित किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमनें बहस सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर व वकील प्रतिवादीगण की बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 कुल 6 जमाबन्दियों, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जारी किये गये पाँच संपरिवर्तन आदेशों मय संपरिवर्तन की गई भूमियों के नक्शा ट्रेस की फोटोप्रतियाँ इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद पत्र में अंकित वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वर्तमान में वादपत्र में अंकित पक्षकारान् प्रतिवादीगण में से केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 8 के ही नाम खसरा नम्बर 2853/2814 रकबा 0.36 हैक्टर दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा उक्त भूमियों का विधिक विभाजन होकर विधिक विभाजन के उपरान्त नवीन सृजित खसरा नम्बरान् में अंकित भूमियों का बैचान इत्यादि दीगर व्यक्तियों को किये जाने [illegible] खातेदारी दीगर व्यक्तियों के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो [illegible] के द्वारा उक्त भूमियों को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवासीय सं[illegible]वर्तन विभिन्न पाँच पत्रावलियों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:31:33 IST
Reason: SelfAttested

12/12/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सक्षम स्तर से तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा दिनांक 20.09.2022 को संपरिवर्तन आदेश जारी किया जाना रिकार्ड से प्रमाणित होता है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1487 रकबा 1.94 हैक्टर तन् ग्राम अजीतगढ़ की आराजी भूमियों की किस्म चाही व बारानी से परिवर्तित होकर आवासीय प्रयोजनार्थ रिकार्ड में संपरिवर्तन आदेशों के आधार पर रिकार्ड में दर्ज होना शेष है। उक्त वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमियों की किस्म सक्षम स्तर से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो जाने से राज्य सरकार को किसी प्रकार के राजस्व की हानि होना रिकार्ड से प्रमाणित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि की खातेदारी निरस्त कर उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.12.28 12:31:33 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)